नम्बर व त
अहकाम
हुक्म की त
में जारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी , बनेडा जिला भीलवाडा (राज.)

(पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा आर.ए.एस.)

करण संख्या 141 / 2019

निर्णय दिनांक 31 / 12 / 2020

1. गुलाबकंवर पत्नि शिवचन्द्र सिंह राजपुत निवासी बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा

वादीया

1. लाडकंवर पत्नि दलेल सिंह राजपुत निवासी हाल प्रताप कोलोनी , चन्देरिया पुठोली जिला चित्तोडगढ राज0
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0एक्ट बाबत् कराये जाने विभाजन
आराजियात बल्दरखा
प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 7 नियम 11 एंव 151 जा.दी.

उपस्थित – श्री कृष्ण कुमार जीनगर वकील वादी
श्री मुरारी जोशी वकील प्रतिवादी

प्रकरण मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता द्वारा श्री चन्द्रवीर सिंह पिता स्व0 बुद्व सिह राजपुत से प्रस्तुत एक प्रार्थनापत्र दिनांक 17.11.20 को अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति वादी को दी गई व वादीया द्वारा अधिवक्ता द्वारा जवाब नही देकर बहस करना चाहते है जो कि बहस उभयपक्ष सूनी गई । बहस के दौरान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. मे वर्णित तथ्यो को दोहराते निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रारम्भिक आपत्तियो के आधार पर मेन्टेनेबल नही होने से काबिले खारिजी के है वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र ग्राम बल्दरखा बटवार क्षेत्र बल्दरखा तहसील बनेडा जिला भीलवाडा की आराजी नम्बर 630 , 639 , 643 , 645 , 1370 , 1451 , 1454 , 1519 , 1520 , 1521 , 1522 कुल किता 11 रकबा 25 बीघा 13 बिस्वा पर बंटवारे बाबत् प्रस्तुत किया है जबकि वादीया द्वारा उक्त आराजी मेसे आराजी नम्बर 630 , 639 , 645 मेसे 1 / 3 हिस्सा व आराजी नम्बर 643 का सम्पूर्ण रकबा ही क्रय किया है फिर भी वादी द्वारा सम्पूर्ण खाते को पत्रावली मे अंकित कर रखी है व वादी द्वारा उक्त वाद गलत तथ्यो पर अंकित कर प्रार्थनापत्र मे स्थगन ले रखा है जबकि आराजी नम्बर 630 किस्म गेमु. चाह , आराजी नम्बर 639 किस्म गेमु. चाह , आराजी नम्बर 645 केस्म गेमु. डोरी दर्ज रेकार्ड है जिनमे बंटवारा नही हो सकता है फिर भी प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थनापत्र मे सम्पूर्ण खाते का अंकन कर दिया व पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा बिना पत्रावली का अवलोकन किया सम्पूर्ण रकबे पर एक तरफा स्थगन दे दिया है जो कि विधी विरूद्व है ।

वादीया अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे निवेदन किया कि उक्त प्रार्थनापत्र चन्द्रवीर सिंह के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता जो पेश की है व खारिज योग्य है क्योकी वादीया द्वारा आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 के तहत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार नही होने से पहले उक्त आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया जा सकता है अतः उक्त प्रार्थनापत्र सव्यय खारिज फरमावे ।

उभयपक्ष की बहस सुन कर पत्रावली का अवलोकन किया तो पता चला की वादीया अधिवक्ता द्वारा उक्त पत्रावली अन्तर्गत धारा 53 , 188 कराये जाने विभाजन आराजियात का दावा पेश किया है व प्रार्थनापत्र मे प्रस्तुत जमाबन्दी मे वादीया द्वारा आराजी नम्बर 630 , 639 , 645 मेसे 1/3 हिस्सा व आराजी नम्बर 643 का सम्पूर्ण रकबा ही क्रय किया है फिर भी सम्पूर्ण खाते पर वादीया द्वारा स्थगन ले रखा है जबकि वादीया के द्वारा आराजी नम्बर 630 किस्म गेमु. चाह , आराजी नम्बर 639 किस्म गेमु. चाह , आराजी नम्बर 645 किस्म गेमु. डोरी मे से 1/3 हिस्सा जो कि तीनो आराजी कुअे से संबधित है जिसमे बंटवारा संभव नही है व आराजी नम्बर 643 का सम्पूर्ण रकबा क्रय किया है जिसमे बंटवारे की भी आवश्यकता नही है फिर भी वादीया द्वारा वाद पत्र मे प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किये बिना वाद प्रस्तुत किया है जो कि गलत है । व वादीया अधिवक्ता ने निवेदन किया कि आदेश 22 नियम 4 जा0फो0 का प्रार्थनापत्र स्वीकार नही किया तो उक्त अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी का प्रार्थनापत्र चलने योग्य नही है तो प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया की वादीया की मृत्यु होने के बाद दिनांक 14–09–2019 को चन्द्रवीर सिंह पिता बुद्वसिंह द्वारा एक प्रार्थनापत्र श्रीमान् के न्यायालय मे प्रस्तुत किया है उसके बाद ही वादीया द्वारा आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 प्रस्तुत कर संसोधित अनवान भी पेश किया है अगर आदेश 22 नियम 4 जा0दी0 स्वीकार नही होती तो वादी अधिवक्ता द्वारा संसोधित अनवान क्यो पेश किया गया । उपरोक्त पत्रावली का अवलोकन करने से यह पता चला कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे सम्पूर्ण खाते का अंकन किया है व एक तरफा स्थगन भी ले रखा है जो कि गलत है । चूकि उक्त वादपत्र प्रारम्भीक आपत्तियो के आधार पर मेन्टेनेबल नही होने से खारिज होने योग्य है ।

आदेश

अतः अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पीसी. स्वीकार किया जाकर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र संख्या 141/2019 मेन्टेबल नही होने से खारिज किये जाने के आदेश पारित किये जाते है । पक्षकार खर्चा अपना–अपना वहन करे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर फैशल शुमार हो । निर्णय आज दिनांक 31–12–20 को सरे ईजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

दिवांशु शर्मा
उपखण्ड अधिकारी, बदनोर
जिला भीलवाडा